संख्या : 1217 /उ0शि0/2002.

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा

देहरादून : दिनाँक : 12 दिसम्बर, 2002

विषय : प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना।

महोदय,

संस्कृत भाषा राष्ट्र की अमूल्य अनुपम निधि है। अनादि काल से हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन पर उसका अपरिमित प्रभाव है। समस्त भारतीय साहित्य और संस्कृति उससे पूर्णतया अनुप्राणित है। देववाणी पद से विभूषित अन्य प्राचीन भाषाओं से अपेक्षाकृत अधिक जीवन्त है। हमारा धार्मिक जीवन इसका ज्वलन्त प्रमाण है। प्राचीनकाल से ही विभिन्न संस्कृतियों, मान्यतायें धार्मिक विश्वास, बौद्धिक पूर्वाग्रहों की अभिव्यक्ति संस्कृत के माध्यम से ही हुई हैं। वेद, उपनिषद्, महाकाव्य एवं महाग्रन्थ आज भी अक्षुण्ण हैं।

वर्तमान में संस्कृत की पाण्डुलिपियां तथा अभिलेख बिखरे पड़े हैं। कहीं पर भी एक स्थान पर इनके संकलन का प्रयास नहीं किया गया है। माइक्रो फिल्मिंग अथवा स्केनिंग जैसी आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग से इन्हें संकलित कर संग्रहीत किया जा सकता है। संस्कृत की पाण्डुलिपियां तथा अभिलेख होशियारपुर (पंजाब), सर जी0एन0झा संस्कृत पुस्तकालय इलाहाबाद, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, बनारस, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, अड्यार इंस्टीट्यूट, मद्रास तथा पुणे स्थित संस्थान में संरक्षित हैं।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में निम्नवत् संस्कृत अकादमी की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. संस्था का नाम – उत्तरांचल संस्कृत अकादमी।

12/12

2. मुख्यालय – उत्तरांचल संस्कृत अकादमी का मुख्यालय जनपद हरिद्वार अथवा ऋषिकेश में होगा। प्रारम्भ में ज्वालापुर, हरिद्वार स्थित संस्कृत महाविद्यालय जयराम आश्रम, हरिद्वार से यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

3. संस्थान के उद्देश्य एवं कार्य –

(1) संस्कृत अकादमी का प्रथम ध्येय यह होगा कि विश्व भर में जहॉ पर भी संस्कृत अभिलेख हों, को एकत्रित कर पुस्तकालय/अभिलेखागार बनाया जायेगा, जहॉ पर समस्त संकलन उपलब्ध हों। यदि यह ऐसा केन्द्र बन जाता है, जहॉ समस्त प्रकार के ग्रन्थ उपलब्ध हों तो निःसन्देह विश्व भर के संस्कृत प्रेमियों एवं संस्कृत शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकृष्ट करेगा।

(2) संस्कृत के ग्रन्थों एवं अभिलेखों का प्रकाशन। प्रकाशन का तात्पर्य मात्र पुस्तक प्रकाशन नहीं रह गया है आज प्रकाशन कई नये आयामों में नवीनतम तकनीकी के आधार पर किया जायेगा।

(3) विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय स्थापित करना।

(4) संस्कृत का सरलीकरण। पाणिनी के व्याकरण की शुद्धता एवं कटुता ने संस्कृत को एक जीवन्त भाषा से देवभाषा बना दिया। सम्भवतः संस्कृत के ह्रास का कारण यही है। जब पाली में यह प्रयोग किया गया तब पाली की भी यही गति हुई है।

(5) संस्कृत के वैज्ञानिक तथा अन्य विषयों से प्रासंगिकता एवं इसका दूसरी भाषाओं में अनुवाद/उनका आधुनिक विकसित माध्यमों से प्रकाशन।

(6) संस्कृत शिक्षण, प्रशिक्षण, शैक्षणिक शोध, संगोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।

(8) संस्कृत भाषा एवं साहित्य के उच्च अध्ययन हेतु विशिष्ट कोटि के संस्कृत भाषा के विद्वानों एवं साहित्यकारों को संस्कृत के विकास, शोध, संवर्द्धन एवं परिवर्द्धन हेतु आर्थिक सहायता एवं सुविधायें प्रदान करना। इसमें फैलोशिप, छात्रवृत्ति एवं अन्य गतिविधियां सम्मिलित हैं।

(9) संरकृत भाषा के पाठ्यक्रमों का निर्धारण, अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया रुचिकर बनाना, पाठ्यक्रम सचित्र सरल एवं बोधगम्य् तैयार किया जाना।

12/12

(10) संस्कृत की विश्वविख्यात संस्थाओं से साहित्य एवं आधुनिकतम तकनीकी का आदान–प्रदान तथा सम्पर्क करना।

4. समितियों का गठन :

संस्कृत संस्थान के लिए सामान्य समिति, सामान्य परिषद् कार्यकारिणी एवं उप समितियाँ आदि गठित की जायेंगी। सामान्य समिति निम्नवत् प्रस्तावित है :–

(1) अध्यक्ष – मुख्य मंत्री, उत्तरांचल।
(2) उपाध्यक्ष – श्री ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरुप, जयराम आश्रम, हरिद्वार।
(3) सदस्य – मा0 अध्यक्ष द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार नामित।
(4) सदस्य सचिव/निदेशक, संस्थान – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त।
(5) कोषाध्यक्ष – शासन द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

संस्कृत अकादमी की स्थापना के लिए राज्य संसाधनों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी निवेश प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना की दिशा में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा वित्तीय उपाशयता का प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या –1217 (1)/उ0शि0/2002 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवगतार्थ।
3. मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त कुलपति, उत्तरांचल।
6. श्री ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरुप, जयराम आश्रम, हरिद्वार।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई–दिल्ली।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।

9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
11. गोपन (मंत्रि परिषद् अनुभाग), उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अपरेन्द्र सिन्हा)
सचिव